फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बस स्टैंड नाथद्वारा (10452), जिला राजसमन्द

—— प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. स्व. श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री कस्तूर चन्द खटीक

   कानूनी वारिसान :–
   1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री मदन लाल खटीक,
   2. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. श्री मदन लाल खटीक,
   3. श्री दीपक खटीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल खटीक,
   4. श्री गोविन्द खटीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल खटीक,
   5. श्रीमती डिम्पल पुत्री स्व. श्री मदन लाल खटीक

      पत्ता : खटीक मोहल्ला, कोठारिया चक – I, जिला राजसमंद (राज.) 313323,
2. श्री मनोहर लाल खटीक पुत्र श्री शंकर लाल खटीक

   पत्ता :– कुम्हरों का मोहल्ला, कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) 313323

—— अप्रार्थीगण / ऋणी / जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 12 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा, जिला राजसमन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने स्व. श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री कस्तूर चन्द खटीक के कानूनी वारिसान श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री मदन लाल खटीक श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. श्री मदन लाल खटीक, श्री दीपक खटीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल खटीक, श्री गोविन्द खटीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल खटीक, एवं श्रीमती डिम्पल पुत्री स्व. श्री मदन लाल खटीक, पत्ताः खटीक मोहल्ला, कोठारिया चक – I, जिला राजसमंद (राज) 313323, जमानतदार श्री मनोहर लाल खटीक पुत्र श्री शंकर लाल खटीक, पत्ता – कुम्हारों का मोहल्ला, कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज.) को रूपये 5,50,000 / – एवम् रूपये 5,00,000 / – का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी / ऋणियों / जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। अप्रार्थीगण / ऋणी / जमानतदार इस हेतु ऋणी / ऋणियो / जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त	

ऋण राशि निम्न परिसम्पत्तिं, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– अचल सम्पत्ति :– आवासीय गिरवीकृत सम्पत्ति जो पटा न. 4716, खसरा न. 1026, ग्राम कोठारिया, ग्राम पंचायत कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज) में स्थित है जो श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री कस्तूर चन्द खटीक के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 855 वर्ग फिट है। जिसके पड़ौस निम्न हैं पूर्व :– प्यारे लाल/हीरा लाल खटीक का मकान, पश्चिम :– कन्हैया लाल/चम्पा लाल खटीक का मकान, उत्तर :– रोड, दक्षिण :– गोवर्धन खटीक का मकान। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 14.06.2023 को अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 17.06.2023 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 9,12,478/– दिनांक 14.06.2023 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 17.06.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं पोस्ट आफिस की डीलेवरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने स्व. श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री कस्तूर चन्द खटीक के कानूनी वारिसान श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री मदन लाल खटीक श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. श्री मदन लाल खटीक, श्री दीपक खटीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल खटीक, श्री गोविन्द खटीक पुत्र स्व. श्री मदन लाल खटीक, एवं श्रीमती डिम्पल पुत्री स्व. श्री मदन लाल खटीक पता: खटीक मोहल्ला, कोठारिया चक –I, जिला राजसमंद (राज) 313323, जमानतदार श्री मनोहर लाल खटीक पुत्र श्री शंकर लाल बटीक पता– कुम्हरों का मोहल्ला, कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज) को रूपये 5,50,000/– एवम रूपये 5,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था। उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि रूपये 9,12,478/– वसूल करना हैं। ऋणी/जमानतदार ने अचल सम्पत्ति :– अचल सम्पत्ति :– आवासीय गिरवीकृत सम्पत्ति जो पटट्ा न. 4716, खसरा न. 1026, ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Bullo

कोठारिया, ग्राम पंचायत कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज) में स्थित है जो श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री कस्तूर चन्द खटीक के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 855 वर्ग फिट है। जिसके पड़ौस निम्न हैं पूर्व :– प्यारे लाल/ हीरा लाल खटीक का मकान, पश्चिम :– कन्हैया लाल/चम्पा लाल खटीक का मकान, उत्तर :– रोड, दक्षिण :– गोवर्धन खटीक का मकान।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नाथद्वारा जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Bulio

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)